भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3651

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

जीएसटी और आयकर के लिए हेल्पडेस्क

3651. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जीएसटी और आयकर संबंधी प्रत्रों के लिए जिला स्तरीय हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं;
(ख) क्या छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों को कर अनुपालन के संबंध में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;
(ग) क्या कर रिफंड और पैन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है;
(घ) क्या छोटे करदाताओं के लिए फाइलिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है;
(ङ) क्या टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में करदाताओं की संतुष्टि का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;
(च) क्या भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी सहायता सेवाएँ सक्रिय और सुलभ हैं; और
(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयकर सेवा केंद्र (एएसके) आवश्यकता के आधार पर स्थापित किए गए हैं। आज तक, पूरे भारत में विभिन्न आयकर कार्यालयों में 457 एएसके केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। देश भर के सीजीएसटी आयुक्तालयों के अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में पूर्णतः कार्यरत जीएसटी सेवा केंद्र या हेल्पडेस्क हैं जो करदाताओं/नागरिकों को सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान करते हैं।

(ख): कर जागरूकता बढ़ाने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टियर II और टियर III शहरों में नियमित रूप से करदाता हब आयोजित किए जाते हैं। विभाग छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों सहित सभी करदाताओं को शिक्षित करने के लिए हर साल करदाता सूचना श्रृंखला ब्रोशर भी प्रकाशित करता है। ये ब्रोशर प्रत्येक करदाता हब, मेलों में व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं और विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किए जाते हैं। सरकार ने समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र में जीएसटी जागरूकता अभियान आयोजित करके छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों में अनुपालन आवश्यकताओं की समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अलावा, नियमित आधार पर प्रिंट, टीवी और रेडियो जैसे जनसंचार माध्यमों के माध्यम से अधिक जन जागरूकता पैदा की जाती है।

(ग): जी हां, सेवा वितरण मानकों, आयकर विभाग के नागरिक चार्टर के अनुसार, और जीएसटीएन द्वारा जीएसटी पोर्टल से संबंधित मुद्दों के शिकायत निवारण के लिए एक समय-सीमा है।

(घ): प्रत्यक्ष करों के संबंध में:

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके लिए उन्होंने आयकर विवरणी में प्रासंगिक आय और कर संबंधी जानकारी पहले से भरने की सुविधा प्रदान की है। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल से आयकर विवरणी तैयार करने और दाखिल करने के उद्देश्य से करदाताओं को अपने लेन-देन की जानकारी देने के लिए वार्षिक सूचना विवरण, प्रपत्र 26एएस और करदाता सूचना विवरण उपलब्ध कराया है। ई-फाइलिंग मोड ऑनलाइन, ऑफलाइन और एक्सेल यूटिलिटीज़ में उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। विभाग ने वीडियो जारी किए हैं जो करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने और उससे संबंधित प्रश्नों के संबंध में चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये वीडियो ई-फाइलिंग पोर्टल से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं।

जीएसटी के संबंध में:

i. माल की आपूर्ति में लगी संस्थाओं के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण हेतु वार्षिक कारोबार की सीमा 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 40 लाख रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर) कर दी गई है, जो शुरू में 20 लाख रुपये थी।
ii. संघटक योजना के तहत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा 1 अप्रैल 2019 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर) कर दी गई है, जो शुरू में 75 लाख रुपये थी।
iii. त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) करने की एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे करदाताओं को मासिक रिटर्न के बजाय त्रैमासिक आधार पर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प मिलेगा।
iv. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने में छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए, ईसीओ के माध्यम से वस्तुओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता को 01.10.2023 से सशर्त रूप से माफ कर दिया गया है।
v. यदि आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्या का प्रमाणीकरण करवाता है तो सात कार्य दिवसों के भीतर शीघ्र अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, तथा यदि आवेदक आधार संख्या का प्रमाणीकरण करवाने में विफल रहता है या इसका विकल्प नहीं चुनता है तो तीस दिनों के भीतर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
vi. जहां सक्षम अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, वहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन को स्वीकृत मान लिया जाएगा।
vii. पंजीकरण प्रदान करने की तिथि से तीस दिन तक या धारा 37 के तहत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना।
viii. रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम और आसान बनाने के लिए, करदाताओं और उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के आधार पर, पोर्टल पर संपादन सुविधा सहित एक स्वतः-जनित रिटर्न करदाताओं को प्रदान किया जा रहा है।
ix. वर्तमान कर अवधि के लिए वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति में संशोधन की अनुमति देने के लिए एक नया विकल्प प्रदान किया गया है।
x. करदाताओं की सुविधा और डिजिटल भुगतान को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, जीएसटी भुगतान के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में यूपीआई और आईएमपीएस उपलब्ध कराए गए हैं।

(ङ) नहीं।

(च) और (छ): महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक आयकर सेवा केंद्र (एएसके) कार्यरत है। एसएमएस के माध्यम से जीएसटीआर-1, 3बी की शून्य फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, नेटवर्क की समस्या वाले दूरदराज के क्षेत्रों में करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने और रिफंड दावों में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑफ़लाइन उपकरण निःशुल्क उपलब्ध हैं।

*****